

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री रामा

विपक्षी :- श्री देवा

किस्म मुकदमा :- विविध आ.9नि.4जा.दी.

पत्रावली संख्या :- 15/25 विविध

जीसीएमएस नम्बर :- 2025/77

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 27.11.2025</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शिवदयाल राव उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा बहस का निवेदन किया। बहस अधिवक्ता प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा.दी. पर सुनी गई।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। मूल पत्रावली संख्या 42/24 वाद उनवान रामा बनाम देवा का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 20.06.2025 को वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया था। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि मूल प्रकरण कृषि भूमि में घोषणा का था। जिसको केवल मात्र अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया। जिसमें कृषि भूमि में हक अधिकार तय नहीं किए गए। प्रकरण प्रारम्भिक स्टेज पर है। हम प्रार्थी द्वारा बताए गए विभिन्न कारणों से सहमत हैं। प्रकरण कृषि भूमि में घोषणा का होने से प्रार्थीया के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">:- आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 42/24 वाद उनवान रामा बनाम देवा में पारित आदेश दिनांक 20.06.2025 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने के आदेश दिये जाते हैं। मूल वाद में प्रतिवादीगण की तलबी हेतु प्रार्थीया को समन पेश करने हेतु आगाह किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे। अधिवक्ता प्रार्थीया मूल वाद में दिनांक 29.01.2026 को उपस्थित रहे। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	

